दस रुपये विलोपित पाँच रुपये
TEN RUPEES FIVE RUPEES

6

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /06

R02-647 /II/06

श्री के0 के0 द्विवेदी एड0 द्वारा आज दि0 3-4-06 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

प्रकाश चन्द तनय श्री जगप्रसाद
निवासी ग्राम कटिया कला तहसील
मैहर जिला- सतना म0प्र0

---- आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर
जिला-सतना म0प्र0

--- अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2048-दो/05निग0 में पारित आदेश दिनांक 23-2-06 के विरुद्ध म0प्र0 भू-रा·सं की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

1- यह कि इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कुछ ऐसी भूले हैं जिनके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

2- यह कि आवेदक द्वारा उनके पुनरीक्षण ज्ञापन में उठाई गई आपत्तियों पर विचार एवं विनिश्चयन नहीं किया गया है अतः इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

3- यह कि इस माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा पुनरीक्षण ज्ञापन के आधार क्र-1 लगायत 8 में उठाई आपत्तियों का न तो आदेश में उल्लेख हो सका और नहीं विनिश्चयन किया गया है यह अभिलेख से प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है जिसके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है इस संदर्भ में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है ।

3-4-06
K. K. Dwivedi
Advocate

3/4/06

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 647–दो / 2006 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 – 7–2016	पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 2048–दो / 2005 में तत्कालीन सदस्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–02–2006 के विरूद्व यह पुनरावलोकन आवेदन संहिता की धारा–51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय में प्रत्यावर्तित किया गया था, इस कारण अपर आयुक्त के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह था कि प्रत्यावर्तन आदेश उचित है या नहीं, किन्तु उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी का सम्पूर्ण आदेश निरस्त कर दिया । उनका तर्क है कि विवादित भूमि रामसिया के बेवा भगनी से क्रय की गई है तथा आवेदक का मकान 1955 से विवादित भूमि पर बना है। इस कारण संहिता की धारा 248 के प्रावधान लागू नहीं होते । इसके विरूद्ध में शासन अधिवक्ता का यह तर्क है कि विवादित भूमि शासकीय है जिस पर अनावेदक का अनाधिकृत कब्जा है, इसलिये निगरानी खारिज की गई । 3/ आवेदक के अभिभाषक ने अपने तर्क में कहा कि न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आक्षेपित	

आदेश में कुछ ऐसी भूलें यह त्रुटि है जिनके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है । आवेदक द्वारा उनके पुनरीक्षण ज्ञापन में उठाई गई, आपत्तियों पर विचार एवं विनिश्चयन नहीं किया गया है । न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष आवेदक द्वारा पुनरीक्षण ज्ञापन के आधार क्र0 1 लगायत 8 में उठाई आपत्तियों का न तो आदेश में उल्लेख हो सका और नहीं विनिश्चयन किया गया है यह अभिलेख से प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है जिसके कारण पुनर्विलोकन योग्य है । इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1981 आर0एन0 43, 1975 आर0एन0 160 उल्लेखनीय है । तर्क में यह भी है कि न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के उपबन्ध पर विचार किये पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है । इस उपबन्ध के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख बुलाये बिना एवं उसका परीक्षण किये बिना पुनरीक्षण सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1989 आर0एन0 336(उच्च न्यायालय), 1990 आर0एन0 95 उल्लेखनीय है । अतः पुनर्विलोकन का आवेदन स्वीकार कर, न्यायालय राजस्व मण्डल का आदेश निरस्त किया जाये एवं पुनरीक्षण सुनवाई हेतु ग्राह्य कर प्रकरण का निराकरण गुण-दोषों के आधार पर किया जावे।

4/ तथ्य के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि विवादित भूमि क्रमांक

4/2 तालाब नजूल मध्यप्रदेश शासन राजस्व अभिलेखों में अंकित है । आवेदक द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालयों में और न ही मेरे समक्ष ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया, जिससे प्रथमदृष्टया यह सिद्ध हो सके कि विवादित भूमि आवेदक द्वारा तथाकथित व्यक्ति से क्रय की गई है । चूँकि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में म0प्र0 शासन के नाम पर है जिस पर अवैध अतिक्रमण होने से उसके विरूद्व संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत बेदखली के आदेश देने में विचारण न्यायालय और अपर आयुक्त द्वार कोई त्रुटि नहीं की गई है । यदि विवादित भूमि पर आवेदक को संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व से कोई वैधानिक स्वत्व प्राप्त थे तो उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 57 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर उसका निराकरण कराना चाहिये थे । संहिता की धारा 248 के प्रकरण में आवेदक को बिना किसी पर्याप्त प्रमाण के कब्ज के आधार पर कोई आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती । अपर आयुक्त को अपील में अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर उचित आदेश पारित करने की पात्रता है । इस कारण अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने अपने तर्क में पुनरीक्षण ज्ञापन के आधार क्र0 1 लगायत 8 में उठाई आपत्तियों का न तो आदेश में उल्लेख हो

सका है और न ही विनिश्चय किया गया है । इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये है । उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा संहिता की धारा 50 के उपबन्ध पर भी विचार नहीं किया और आदेश पारित कर दिया है । ऐसे में न्यायालय राजस्व मण्डल का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि न्यायालय राजस्व मण्डल के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 23.02.06 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है और प्रस्तुत रिव्यु का प्रकरण खारिज किया जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य